समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 28-09-2016 को विधि-व्यवस्था संबंधी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

(2) कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(3) विधि-व्यवस्था :-

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि इस बार दुर्गा पूजा एवं मुहर्रम का पर्व एक साथ शुरू हो रहा है जिससे जिले में विधि व्यवस्था बनाये रखना चुनौतीपूर्ण है। इसलिए स्थिति शांतिपूर्ण बनाये रखने हेतु विशेष सर्तकता रखना जरूरी है।

(4) शांति-समिति की बैठक :-

उक्त दोनों पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु जिला प्रशासन का यह पूर्ण दायित्व है कि पूर्व से दुर्गा पूजा /मुहर्रम पर्व के संबंध में समीक्षा कर एहतियाती कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि हर क्षेत्र में त्योहार का आनंद हर वर्ग के लोग उठा सकें। उक्त त्योहार के अवसर पर विधि-व्यवस्था तथा सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु संवेदनशील स्थान पर दण्डाधिकारी के साथ शस्त्र बल एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति तथा यथासमय शांति समिति की बैठक कर आम सदभावना बनाये जाने का प्रयास किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उक्त पर्व हेतु अनुमंडलाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को नये सिरे से शांति समिति, जिसमें युवा लड़कों की भी भागीदारी रहे, का गठन करने का निदेश दिया गया।

(5) निरोधात्मक कार्रवाई :-

प्रतिनियुक्त संबंधित दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ सशस्त्र बल निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करेंगे :-

(1) प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ सशस्त्र बल अपने-अपने प्रतिनियुक्त स्थान पर ससमय पहुँच कर आपस में सम्पर्क स्थापित कर तुरंत आगमन की सूचना संबंधित प्रखंड /थाना के माध्यम से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को देंगे तथा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमंडल पुलिस

पदाधिकारी इसकी सूचना संध्या 5:00 बजे तक जिला दण्डाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को देंगे कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ सशस्त्र बल अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर पहुँच चुके हैं।

(2) प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर सूचना एकत्रित करेंगे तथा शांति समिति की बैठक बुलाएंगे एवं क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर विधि-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देंगे।

(3) यदि किसी खास स्थान पर सम्भावित उपद्रव की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/ सशस्त्र बल उस वक्त तक वहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक की वहाँ की स्थिति पूर्णतः सामान्य न हो जाए।

(4) यदि किसी खास स्थान पर संभावित उपद्रव की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तत्परता से स्थिति पर काबू के लिए समुचित कार्रवाई करेंगे तथा अपने वरीय पदाधिकारियों को स्थिति की सूचना अविलम्ब देंगे।

<u>(6) पूजा पंडाल :-</u>

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि दुर्गा पूजा एवं मुहर्रम के आयोजन हेतु पूजा पंडाल, अखाड़ा एवं जुलुश के लिए आयोजन समिति को शत प्रतिशत अनुज्ञप्ति जारी करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को दिया गया।

<u>(7) अनुज्ञप्ति :-</u>

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अनुज्ञप्ति में संयुक्त रूप से कम से कम 10 आदमी का नाम रखने हेतु निदेश दिया गया ।

<u>(8) विसर्जन / जुलूस :-</u>

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मुहर्रम एवं दुर्गा पूजा के आयोजन एवं विसर्जन के लिए रूट चार्ट तैयार करने हेतु स्थल का निरीक्षण कर अनुज्ञप्ति जारी करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि प्रतिमा विसर्जन का जुलुश एवं मुहर्रम का जुलुश एक साथ टकराये नहीं इसके लिए विशेष सतर्कता रखने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उक्त पर्वो को ध्यान में रखकर एक चेक लिस्ट जारी किया गया हैं। जिसे ध्यान से पढ़ा जाय एवं अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

वैसे जुलूस जिनके मार्ग में मन्दिर/ मस्जिद/ ईदगाह अथवा कब्रिस्तान अथवा पूर्व से विवादग्रस्त स्थानों आते हों, वहां विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। जुलूसों के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत करते समय इन सभी बातों का समावेश अनुज्ञप्ति में निश्चित रूप से रहेगा। जुलूसों को नियंत्रित करने में पुलिस एक्ट की धारा-30/32 तथा सी0आर0पी0सी0 की धारा 144 की सहायता लेने का निदेश दिया गया।

सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी /थानाध्यक्ष जुलूस निकलने के समय /मेला के समय तथा अखाड़े लगने के समय स्वयं भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, एक ही मार्ग होने पर रास्ते के लिए भीड़ का प्रबंधन होल्ड-रीलिज-होल्ड तरीके से किया जाए।

इसके अतिरिक्त सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी /थानाध्यक्ष जहां-जहां मेला /जुलूस /अखाड़े का आयोजन किया जाता है, उस स्थल पर हरहाल में विधि-व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

(9) भीड़ प्रबंधन /अफवाह से भगदड़ :-

उक्त दोनों पर्व के अवसर पर मेला स्थल /पंडाल /अखाड़े के समीप अत्यधिक भीड़ होने की संभावना रहती है। कभी-कभी अवांछित तत्वों द्वारा अनावश्यक अफवाह फैलाये जाने के उपरान्त भीड़ प्रबंधन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें बच्चे, महिलायें एवं वृद्धजनों को अत्यधिक परेशानी होती है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि सभी मेला /पंडाल /अखाड़ा स्थलों के निकट वाहनों की पार्किंग न हो, इसके लिए अलग व्यवस्था की जाए, इसे सभी अंचलाधिकारी /थानाध्यक्ष /प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी असमाजिक तत्व द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता है, तो तत्क्षण अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही अतिसंवेदनशील तथा संवेदनशील स्थानों पर ज्यादा संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति परिचारी प्रवर, मधेपुरा अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ-साथ निगरानी हेतु टावर /मचान का निर्माण, जिस पर लाऊडस्पीकर एवं विडियोग्राफर की व्यवस्था थानाध्यक्ष /प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा की जाए।

(10) चिकित्सा व्यवस्था :-

(क) क्यू0एम0आर0टी0 :- उक्त दोनों पर्व के अवसर पर सभी महत्वपूर्ण मेला /पंडाल /अखाड़ा स्थान पर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रशिक्षित क्यू0एम0आर0टी0 की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करायेंगे।

(ख) एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति :- सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सभी बड़े मेला /जुलूस /अखाड़ा स्थान पर आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस, चिकित्सक, पारा मेडिकल स्टाफ, नर्स /ए0एन0एम0 /जीवन रक्षक दवाओं के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके।

(ग) स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था :- सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा अपने-अपने स्वास्थ्य संस्थान अन्तर्गत सभी आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। सभी अस्पतालों में चिकित्सक /नर्स /पारा मेडिकल स्टाफ /ए0एन0एम0 /चालक सहित एम्बुलेंस वाहन आदि की विधिवत् प्रतिनियुक्ति आदेश